भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार

(नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) झारखण्ड नियमावली, 2006

सा. का. नि. – राज्य सरकार, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम 1996 (1996 का 27) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, विशेषज्ञ समिति से परामर्श करने के पश्चात एतद् द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा – शर्त्त विनियमन) झारखण्ड नियमावली, 2006

भाग –1

प्रारंभिक

अध्याय –1

1. **संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ** :– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) झारखण्ड नियमावली, 2006 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. **परिभाषाएं** :– इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) ''अधिनियम'' से भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) अभिप्रेत है;

(ख) ''प्रवेश'' या ''निर्गम'' से कोई गलियारा, मार्ग, सीढ़ियां, प्लेटफार्म, निसैनी और कोई अन्य साधन, अभिप्रेत है जो किसी भवन कर्मकार द्वारा सामान्यतया कार्यस्थल में प्रवेश करने या उससे चले जाने या खतरे की दशा में बचने के लिए उपयोग करने के लिए है ;

(ग) ''अनुमोदित'' से यथास्थिति राज्य सरकार या मुख्य निरीक्षक द्वारा लिखित में अनुमोदित अभिप्रेत है ;

(घ) ''आधार – पट्ट'' से धातु मचान की दशा में टैंकों से भार का विभाजन करने के लिए पट्टी अभिप्रेत है ;

(ङ) मचान के संबंध में ''खंडक कक्ष'' से, मचान के क्षैतिज या उर्ध्व सहारों के मध्य का वह भाग अभिप्रेत है चाहे वह उस भाग से टिका हुआ हो या उसके सहारे हो, जहां से भाग निलम्बित होता है और जो लम्बाई में संलग्न है ;

(च) "अनुबंधनी" से मचान में स्थिरता के लिए आड़े – तिरछे रूप से लगाया गया जुड़ने और कसने वाला घटक अभिप्रेत है ;

(छ) "दीवाल" से कार्यकरण दाब की अपेक्षा निम्न दाब के अधीन कार्यकरण कोष्ठ को मुक्त वायु से या किसी अन्य कोष्ठ से पृथक करने वाली कोई वायुरोधी संरचना अभिप्रेत है ;

(ज) "नीव कोष्ठक" से कोई ऐसा वायु या जलरोधी कोष्ठ, अभिप्रेत है जिसमें व्यक्तियों के लिए समुद्री तल पर वायु मंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक वायु दाब के अधीन जल स्तर से नीचे सामग्री के उत्खनन का कार्य करना संभव हो ;

(झ) "काफरबांध" से ऐसी संरचना अभिप्रेत है जिसका सन्निर्माण सम्पूर्ण या भाग रूप से जल स्तर से नीचे या भूगर्भ में भौम जल स्तर से नीचे किया गया है और ऐसे कार्यस्थल का उपबंध करने के लिए आशयित है, जो जलमुक्त है ;

(ञ) "सक्षम व्यक्ति" से राज्य सरकार द्वारा उस रूप में अनुमोदित कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत में किसी परीक्षण स्थापन का है और जिसके पास उत्थापक साधित्रों, उत्थापक गियरों, तार – रज्जुओं या दाब संयंत्र या उपस्कर के परीक्षण, परीक्षा या तापानुशीलन और प्रमाणीकरण के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त अर्हता, अनुभव और कौशल है ;

(ट) "संपीड़ित वायु" से उस दाब तक यांत्रिक रूप से बढ़ाई गई वायु अभिप्रेत है जो समुद्र तल पर वायु मंडलीय दाब से अधिक है ;

(ठ) "सन्निर्माण स्थल" से कोई ऐसा स्थल अभिप्रेत है जहां भवन या अन्य सन्निर्माण से संबंधित कोई प्रक्रियाएं या संक्रियाएं की जाती हैं ;

(ड) "प्रवहणी" से कोई ऐसी यांत्रिक युक्ति अभिप्रेत है जिसका उपयोग एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु तक भवन सामग्री, वस्तुएं या पैकेज या ठोस प्रपुंज के परिवहन के लिए भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में किया जाता है ;

(ढ) "खतरा" से दुर्घटना का या क्षति का या स्वास्थ्य के लिए खतरा अभिप्रेत है ;

(ण) "निथारना" से व्यक्तियों का किसी मेन–लाक में समुद्र तल पर वायु मंडलीय दाब तक द्रुत विसंपीड़न और इसके पश्चात् तत्परता से किसी निघारन लोक में उनका पुनःसंपीड़न अभिप्रेत है ; जहां उनका तब विसंपीड़न अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार समुचित विसंपीड़न टेबल के अनुरूप किया जाता है ;

(त) "भंजति करने का कार्य" से किसी भवन से भिन्न किसी भवन या संरचना का सम्पूर्ण या आंशिक रूप से खण्डकरण करने या गिराने के आनुषंगिक या उससे संबंधित कार्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत मशीनों या अन्य उपस्कर का हटाना या खण्डकरण करना आता है ;

(थ) "उत्खनन" से सन्निर्माण या भंजित करने के कार्य के संबंध में मिट्टी, चट्टान या अन्य सामग्री का हटाना अभिप्रेत है ;

(द) "कच्चा काम" से ढूला या आकृति के लिए संरचनात्मक सहारा और अनुबंध अभिप्रेत है ;

(ध) "प्रज्वलन ताप" से न्यूनतम लिक्विड ताप अभिप्रेत है जिस पर कोई चिंगारी या ज्वाला लिक्विड से ऊपर वाष्प शून्य में तात्क्षणिक चमक पैदा करती है ;

(न) "चौखटा या प्रतिरूपक मचान" से ऐसा मचान अभिप्रेत है जिसका विनिर्माण इस प्रकार किया जाता है कि मचान की ज्यामिति पूर्व अवधारित हो और मुख्य घटकों का अपेक्षित फासला नियत हो ;

(प) "रक्षक शलाका" से स्तम्भ को सुरक्षित करने के लिए क्षैतिज शलाका अभिप्रेत है जो व्यक्तियों को गिरने से बचाने के लिए मचानों, भूमि मार्गो, धावन पथों और मार्गिकाओं के खुली तरफ के पार्श्व में परिनिर्मित की गई है ;

(फ) "परिसंकट" से खतरा या संभावित खतरा अभिप्रेत है

(ब) "परिसंकटमय पदार्थो" से कोई पदार्थ अभिप्रेत है जो उसकी विस्फोटकता, जलनशीलता, विघटनाभिकता अविषालु या संक्षारक गुणों या अन्य समान लक्षणों के कारण –

(i) क्षति पहुंचा सकता है या
(ii) मानव–तंत्र को विपरीत रूप से प्रभावित कर सकता है ; या
(iii) हथालने, परिवहन या भंडारण करते समय कार्य–पर्यावरण में जीवन को हानि या सम्पति को नुकसान पहुंचा सकता है और राष्ट्रीय मानकों के अधीन या उस दशा में जहां ऐसे मानक विद्यमान नहीं हैं, साधारणतः स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार इस रूप में वर्गीकृत है ;

(भ) "उच्च दाब वायु" से वातीय औजारों और युक्तियों को शक्ति प्रदाय वायु अभिप्रेत है ;

(म) "स्वतंत्र रूप से सहबद्ध मचान" से कोई ऐसा मचान अभिप्रेत है जिसका कार्यकरण प्लेटफार्म, आधार से टैंको की दो या अधिक पंक्तियों के सहारे हैं और जो आवश्यक सहबद्धों के अलावा भवन से पूर्णतया मुक्त रूप से खड़ा है ;

(य) "आड़" से क्षैतिज रूप से फैला हुआ और लम्बाई में मचान को जकड़े हुए कोई घटक अभिप्रेत है और जो अढ़वार या मध्यपट्टी के लिए सहारे के रूप में कार्य करता है ;

(यक) "उत्थापक साधित्र" से सामग्री वस्तुओं या भवन कर्मकार के उत्थापन के लिए प्रयुक्त कोई क्रेन, उत्तोलक, डेरिक, विंच, जिन पोल, शीर लैग्ज, जैक, घिरनी आलंब या अन्य उपस्कर अभिप्रेत है ;

(यख) "उत्थापक गियर" से किसी "उत्थापक साधित्र" की रज्जु, जंजीर, हुक, दौला और अन्य उपसाधक अभिप्रेत है ;

(यग) "लाक परिचर" से किसी मैन – लाक या मैडिकल–लाक का कोई ऐसा प्रभारी व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसे लाकों में व्यक्तियों के संपीडन पुनः संपीड़न या विसंपीड़न के लिए सीधा उत्तरदायी है ;

(यघ) "न्यून दाब वायु" से कार्यकरण कोष्ठों और मेन लाकों और मैडिकल लाकों के निपीड़न के लिए प्रदत्त वायु अभिप्रेत है ;

(यङ) "बारूद पर" से ऐसा स्थान अभिप्रेत है जिसमें, चाहे भूमि के ऊपर या उसके नीचे, विस्फोटकों का भंडारण किया जाता है या रखे जाते हैं ;

(यच) "मेन – लाक" से मेडिकल लाक से भिन्न कोई लाक अभिप्रेत है जिसका उपयोग कार्यकरण कोष्ठ में प्रवेश करने वाले या उसे छोड़ने वाले व्यक्तियों के संपीड़न या विसंपीड़न के लिए किया जाता है ;

(यछ) "सामग्री उत्तोलक" से शक्ति शारीरिक श्रम से प्रचालित और निलम्बित कोई प्लेटफार्म या बाल्टी अभिप्रेत है जिनका स्तम्भ शलाफाओं (गार्डरेल) में प्रचालन किया जाता है और अनन्य रूप से सामग्री के उत्थापन या उतारने के लिए प्रयोग किया जाता है तथा प्रवहण से बाहर किसी बिन्दु से प्रचालन और नियंत्रण किया जाता है ;

(यज) "सामग्री लाक" से ऐसा कोष्ठ अभिप्रेत है जिसमें से होकर सामग्री और उपस्कर एक वायुदाब पर्यावरण से अन्य में भेजे जाते हैं ;

(यझ) "चिकित्सा लाक" से कोई दोहरा कक्ष लाक अभिप्रेत है जिसका उपयोग विसंपीड़न के बुरे प्रभावों से ग्रस्त व्यक्तियों के चिकित्सीय पुनःसंपीड़न और विसंपीड़न के लिए किया जाता है ;

(यञ) "राष्ट्रीय मानकों" से भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनुमोदित मानक और भारतीय मानक ब्यूरो के ऐसे मानको के अभाव में किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए केन्द्रीय । राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित मानक अभिप्रेत है ;

(यट) "पार्श्व वर्ध" से किसी भवन के भवनमुख से आगे निकली हुई संरचना, जिसका भीतरी सिरा जकड़ा हुआ है, अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत शहतीर या अन्य सहारा आता है ;

(यठ) "संयंत्र या उपस्कर" के अन्तर्गत कोई संयंत्र, उपस्कर, गियर, मशीनरी, साधित्र या साधन अथवा उसका कोई पुर्जा आता है ;

(यड) "दाब" से स्तंभों में उतना वायु दाब अभिप्रेत है जो वायुमंडलीय दाब से अधिक है ;

(यद) "दाब संयंत्र" से वायु मंडलीय दाब से अधिक दाब पर प्रचालित उसके पाइपों और अन्य फिटिंगों के साथ दाब वाहिका अभिप्रेत है ;

(यण) "अड़वार" से कोई क्षैतिज घटक अभिप्रेत है जिस पर कार्यकरण प्लेटफार्म का बोर्ड, तख्ता या मंच रखा जाता है ;

(यस) "उत्तरदायी व्यक्ति" से नियोजक द्वारा नियुक्त ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो विनिर्दिष्ट कर्त्तव्य या कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए उत्तरदायी हो और जिसके पास ऐसे कर्त्तव्य या कर्त्तव्यों के उचित पालन के लिए पर्याप्त ज्ञान और अनुभव तथा अपेक्षित प्राधिकार हो ;

(यथ) "प्रकट संयोजी" से दो विपरीत सतहों के बीच किसी ट्यूब को कसने के लिए प्रयुक्त संयोजी ट्यूब और फिटिंग का समंजन अभिप्रेत है ;

(यद) 'समकोण युग्मक' से समकोण पर ट्यूबों को जोड़ने के लिए स्विवेल या अड़वार युग्मक से भिन्न कोई युग्मक अभिप्रेत हैं ;

(यध) "राक बोल्ट" से यांत्रिक प्रसरण बोल्ट या सीमेंटयुक्त या रेजिन निबंधन प्रणाली के साथ प्रयुक्त बोल्ट अभिप्रेत है जो राक क्षमता में वृद्वि करने के लिए महराव या सुरंग की दीवार में बेधित छिद्र में लगाया जाता है ;

(यन) "छत ब्रेकैट" से ढलवां छत सन्निर्माण में प्रयुक्त ऐसे ब्रेकैट अभिप्रेत हैं जिनमें खिसकने से रोकने के लिए नुकीले बिन्दु या जकड़ने के अन्य साधन है ;

(यप) "सुरक्षा आवरण" से जलप्लावन या जलप्लावित सुरंग से आश्रय के और निकलने के सुरक्षित साधन की व्यवस्था करने के लिए सुरक्षा आवरण और दीवाल के बीच में सुरंग के शिखर को जलप्लावित होने से रोकने की दृष्टि से मुख और दीवाल के बीच संपीड़ित वायु सुंरग के ऊपरी भाग के आर–पार रखा गया कोई वायु और जलरोधी छिद्रपट अभिप्रेत है ;

(यफ) "निरापद कार्यकरण भार" से उत्थापक गियर या उत्थापक साधित्र की किसी वस्तु के संबंध में सक्षम व्यक्ति द्वारा यथा निर्धारित और प्रमाणित वह भार अभिप्रेत है जो अधिकतम भार है जो ऐसी वस्तु या साधित्र पर सामान्य कार्यकरण स्थितियों में सुरक्षित रूप से रखा जा सकता है ;

(यब) "मचान" से कोई ऐसी अस्थायी रूप से तैयार की गई संरचना, जिससे या जिस पर से भवन कर्मकार, ऐसे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के संबंध में कार्य करते हैं, जिनको ये नियम लागू होते हैं, और कोई ऐसी अस्थायी रूप से तैयार की गई संरचना, जो भवन कर्मकार को ऐसे स्थान पर पहुंचने में समर्थ बनाती है या सामग्री को वहां तक ले जाने में असमर्थ बनाती है जहां पर उक्त कार्य किया जाता है अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई रक्षक शलाका, रोक फलक या अन्य रक्षा कवच और सभी फिक्सिंग के साथ कोई

कार्यकरण प्लेटफार्म, मार्गिका, धावन, निसैनी या सोपना – निसैनी (ऐसी निसैनपी या सोपान–निसैनी से भिन्न जो ऐसी संरचना की भागरूप नहीं है) आती है, किन्तु इसके अन्तर्गत उत्थापक साधित्र या उत्थापक मशीन या कोई संरचना नहीं आती है जो केवल ऐसे कोई साधित्र या ऐसी कोई मशीन को सहारा देने के लिए है या अन्य संयंत्र या उपस्कर को सहारा देने के लिए प्रयुक्त है ;

(यभ) "अनुसूची" से इन नियमों के उपाबद्व कोई अनुसूची अभिप्रेत है ;

(यम) "खण्ड" के अन्तर्गत सुरंग अनुप्रस्थ काट की वक्रता के लिए निर्मित और सुरंग के आधार परिवेश के सहारे के लिए प्रयुक्त ढलवां लोहा या पूर्व निर्मित कंकरीट विभाजित संरचना आती है ;

(यय) "सेर्विस शैफ्ट" से किसी निर्माणाधीन भवन में भवन कर्मकारों के आने जाने या सामग्री के लाने ले जाने के लिए शैफ्ट अभिप्रेत है ;

(ययक) "शैफ्ट" से क्षेतिज से पैंतालीस डिगरी से अधिक कोण पर अनुदैर्ध्य अक्ष वाला कोई उत्खनन अभिप्रेत है, जो –

i) किसी भवन कर्मकार या सामग्री के किसी सुरंग में आने–जाने या उसमें से लाने–ले जाने के लिए हैं ; या

ii) किसी विद्यमान सुरंग की ओर है ;

(ययख) "ढ़ाल" से कोई जंगम चौखटा अभिप्रेत है जो सुरंग के खान अतांग्र और उसके ठीक पीछे के आधार को सहारा देने के लिए है और इसके अन्तर्गत सुरंग में उत्खनन करने और उत्खनित क्षेत्रों को सहारा देने के लिए परिकल्पित उपस्कर आता है ;

(ययग) "आधार पट्टिका" से अधार पट्ट या काष्ट मचान की खड़ी वल्ली से आलम्बी स्थल पर भार के वितरण के लिए प्रयुक्त कोई घटक अभिप्रेत है ;

(ययघ) "ठोस या अच्छे सन्निर्माण" से ऐसा सन्निर्माण अभिप्रेत है जो सुसंगत राष्ट्रीय मानकों के या उस दशा में जहां ऐसे राष्ट्रीय मानक विद्यमान नहीं है वहां अन्य सामान्य रूप से स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रीय इंजीनियरी मानकों या व्यवहार संहिता के अनुरूप है ;

(ययङ) "ठोस या अच्छी सामग्री" से उस क्वालिटी की सामग्री" अभिप्रेत है जो सुसंगत राष्ट्रीय मानकों या उस दशा में जहां ऐसे राष्ट्रीय मानक विद्यमान नहीं है वहां अन्य सामान्य रूप से स्वीकृत अर्न्तराष्ट्रीय इंजीनियरी मानकों या व्यवहार संहिता के अनुरूप है ;

(ययच) "खड़ी बल्ली" से मचानों के सन्निर्माण में उर्ध्व सहारा या स्तंभ के रूप में प्रयुक्त ऐसा घटक जो भार को आधार पर या ठोस सन्निर्माण पर पारेषित कर देता है, अभिप्रेत है ;

(ययछ) "मानक सुरक्षित प्रचालन व्यवहारों" से वे व्यवहार अभिप्रेत है जिनकी पालना भवन और अन्य सन्निर्माण क्रियाकलापों में कर्मकारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य तथा ऐसे क्रियाकलापों में प्रयुक्त मशीनरी और उपस्कर के सुरक्षित प्रचालन के लिए की जाती है और ऐसे व्यवहार निम्नलिखित सभी या किसी के अनुरूप होगें, अर्थात् :–

(i) भारतीय मानक व्यूरो द्वारा अनुमोदित सुसंगत मानक ;

(ii) राष्ट्रीय भवन संहिता ;

(iii) उपस्कर और मशीनरी के सुरक्षित उपयोग के लिए विनिर्माता के विनिर्देश ;

(iv) समय–समय पर संशोधित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित सन्निर्माण उद्योग में सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधीं व्यवहार संहिता ;

(ययज) "इस्पात की शलाका" के अन्तर्गत उत्सात क्षेत्रों का आधार बनाने और स्थिरीकरण के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किसी विशिष्ट सुरंग अनुप्रस्थ काट की अपेक्षाओं के अनुरूप आकृति के सभी इस्पता के बीम और अन्य संरचनात्मक घटक आते हैं; रज्जुओं या जंजीरों के माध्यम से निलंबित और ऊपर तथा नीचे किए जाने योग्य मचान अभिप्रेत है किन्तु इसके अन्तर्गत वोसुन कुर्सी या वैसा ही साधित्र नहीं है ;

(ययझ) "निलंबित मचान" से रज्जुओं या जंजीरों के माध्यम से निलंबित और ऊपर तथा नीचे किये जाने योग्य मचान अभिप्रेत है किन्तु इसके अन्तर्गत वोसुन कुर्सी या वैसा ही साधित्र नहीं है ;

(ययञ) "परीक्षण स्थापना" से इन नियमों के अधीन अपेक्षित उत्थापक साधित्रों या उत्थापक गियर या तार रज्जुक के परीक्षण, परीक्षा तापानुशीलन करने या वैसे ही अन्य परीक्षण या प्रमाणन के लिए मुख्य निरीक्षक द्वारा यथा अनुमोदित परीक्षण और परीक्षा करने की प्रसुविधाओं सहित कोई स्थापना अभिप्रेत है ;

(ययट) "बंधन" से मचान को किसी दृढ़ स्थिरक स्थान से जोड़ने में प्रयुक्त समंजन अभिप्रेत है ;

(ययठ) "रोक फलक" से कोई ऐसा घटक अभिप्रेत है जो भवन कर्मकार और समग्री के कार्यकरण प्लेटफार्म, प्रवेश चौकी, प्रवेश मार्ग, एक पहिया ठेला, ढाल या अन्य प्लेटफार्म पर से गिरने का निवारण करने के लिए उसके ऊपर स्थिर किया गया है ;

(ययड) "मध्यपट्टी" से किसी स्वतंत्र संयोजन मकान में क्षैतिज रूप से रखी गई और एक आड़ को दूसरी से या एक टेक को दूसरे से अनुप्रस्थतः बांधने के लिए कोई घटक अभिप्रेत है ;

(ययढ) "कैंची मचान" के अन्तर्गत कोई ऐसा मचान आता है जिसमें प्लेटफार्म के लिए आधार निम्नलिखित में से कोई है और जो स्वाबलंबी हैं, अर्थात् :– (i) विभक्त सिरा, (ii) मुड़वां (iii) सोपान–सीडी, (iv) तिपहिया, या (v) पूर्वोक्त में किसीके समान चलाय मान साधन ;

(ययण) "नालिकाकृत मचान" से नालिकाओं और युग्मकों से सन्निर्मित मचान अभिप्रेत है ;

(ययत) "सुरंग" से उपरिभार के नीचे उत्खनन द्वारा बनाया गया भूमिगत रास्ता अभिप्रेत है जिसमें से कोई भवन कर्मकार काम करने के लिए प्रवेश करता है या जिसमें से प्रवेश करने की अपेक्षा है ;

(ययथ) "अंतर्भोम" से शैफ्ट, सुरंग, नीव कोष्ठक या काफर बांध के घेरे के भीतर का कोई स्थान अभिप्रेत है ;

(ययद) "यान" से कोई यान अभिप्रेत है जो यांत्रिक या वैद्युत शक्ति से नोदित या चालित है और इसके अन्तर्गत ट्रेलर, कर्षण इंजन, ट्रैक्टर, सड़क–निर्मात्री मशीन और परिवहन उपस्कर आते हैं ;

(ययध) "कार्यकरण कोष्ठ" से सन्निर्माण स्थल का कोई ऐसा भाग अभिप्रेत है जहां संपीड़ित वायु पर्यावरण में काम किया जाता है किन्तु इसके अन्तर्गत मैन–लाक या मैन–लोक या मेडिकल लाक नहीं आता है ;

(ययन) "कार्यकरण प्लेटफार्म" से कोई प्लेटफार्म अभिप्रेत है जिसका उपयोग भवन कर्मकारों या सामग्रियों को सहारा देने के लिए किया जाता है और इसके अन्तर्गत कार्यकरण मंच आता है ;

(ययप) "कार्यकरण दाब" से कार्यकरण कोष्ठ में का दाब अभिप्रेत है, जिसमें भवन कर्मकार को रखा जाता है ;

(ययफ) "कार्यस्थल" से वे सभी स्थान अभिप्रेत है जहां भवन कर्मकारों से उपस्थित रहने या काम करने के लिए जाने की अपेक्षा है और जो नियोजक के नियंत्रण के अधीन है ;

(ययब) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार ।

3. **परिभाषित न किए गए शब्दों का निर्वचन** :– उन शब्दों या पदों के, जो इन नियमों में परिभाषित नहीं किए गए हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित या प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनका है ।

4. **व्यावृति** :– इन नियमों के उपबंध अधिनियम द्वारा अधिरोपित अन्य अपेक्षाओं के अतिरिक्त होगें, न कि उनके प्रतिस्थापन के लिए या उनमें कमी करने के लिए हैं ।